[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

JAIL DEPARTMENT

Notification

The 8th November, 2013

No. G.S.R. 34/Const./Art.309/2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Punjab Jail Department Clerical and Technical (State Service Class III) Rules, 1962, in their application to the State of Haryana.

1. These rules may be called the Punjab Jail Department Clerical and Technical (State Service Class III) Haryana Amendment, Rules, 2013.

2. In the Punjab Jail Department Clerical and Technical (State Service Class III) Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9,-

(a) in sub-rule (1), under heading "Part A of Section 1" under sub heading "Office of the Inspector General of Prisons, Haryana", in clause (i), in the case of Clerks, for existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"(i) by direct appointment ; or

(ii) by promotion of a Restorer subject to his completing at least 2 years' service and being '10+2'; or

(iii) by transfer of clerks in the Jail Offices and from other Government offices.";

(b) in sub-rule (2), under heading "Part B of Section 1" under sub heading "Jails and Other Sub-Offices' in clause (d), in the case of Clerks, for existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"(i) by promotion from amongst Head Warders or Warders who are at least '10+2', through a departmental test with two years' experience; or

(ii) by direct appointment.".

3. In the said rules, after rule 9, the following rule shall be inserted, namely:—

'9A. (1) Typing test is substituted with the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) as a part of service requirement for Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) shall be a post requisite condition/qualification which all the newly recruited/appointed Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers in the Government Departments/Organizations shall have to qualify. The existing Clerks, who have been promoted from Group-D and Restorer etc. who have not passed the typing test till date as required under the Service Rules shall have an option either to pass the typing test or the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Application (SETC). The Steno-typists, Junior Scale

Stenographers and Sr. Scale Stenographers shall also have to qualify Stenography test as prescribed in the Service Rules.

(2) The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the probation period of two years, extendable by one year in case of direct recruit. The candidate appointed against the aforesaid categories of posts in Group C shall not be entitled to earn any increment in his/her pay scale till he/she qualifies the said test, failing which the services of such employees shall be dispensed with. The persons who are promoted to the post of Clerk and Steno-typists shall also qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the period of probation of one year extendable by one year, failing which he/she will be reverted back.

(3) The Government of Haryana hereby authorizes the Haryana State Electronic Development Corporation Limited (HARTRON) or any other agency as prescribed by the Government, as the Authorized Agency for conducting the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC), alongwith a test in typing speed in accordance with the syllabus as the State Government may specify in this regard from time to time, besides the syllabus already provided in sub-rule (4) of this rule. The 'pass' certificate issued by HARTRON or any other agency, as approved by the Government, would be accepted as an evidence of the fulfilment of the prescribed condition in the Service Rules.

(4) The syllabus for the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) would contain Word processing, Internet Browsing and E-mail management only.

(5) In the case of Clerks, typing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depressions in both cases as the typing speed, would be tested on computers.

(6) The employees possessing the following qualifications are exempted from taking the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) :—

(i) M.Tech./B.Tech (Computers), MCA, BCA or Diploma in Computers from the recognized institutions e.g. Polytechnics;

(ii) Basic Computer Literacy Certificate from any recognized centre established under the National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT) [erstwhile DOEACC Society];

(iii) Haryana State – Certificate in Information Technology [HS-CIT] from the Authorized Learning Centres (ALCs) of the HKCL;

(iv) Candidates/employees who have already passed the SETC and the same is valid at the time of joining the service. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) passed by any candidate earlier shall be considered valid

for a period of 5 years from the date of issue of such certificate by HARTRON or any other agency authorized by the Government; and

(v) Physically disabled candidates i.e. amputation of hand (left and Right) Amputation of upper limbs, Paralysis of Radial Nerve (Radial Nerve Palsy) of either upper limb. Declination degenerative disorder effecting the nervous system which may cause paralysis and atrophy of the hand and its muscles and Visually Handicapped.

However, these employees, with the exception of those mentioned under sub-para (v) above, shall be required to clear the 'typing test' being part of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC).".

4. In the said rules, in Appendix 'A', in Section I,—

I. under heading "(A) Office of the Inspector General",—

(a) against serial number 6, under column 5, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"10+2;";

(b) against serial number 8, under column 5, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"10+2";

(c) against serial number 9, under column 5, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"10+2;

(Provision for typing test omitted in view of rule 9 A).".

II. under heading "(B) Jails and Other Sub-Offices,"—

(a) against serial number 3, under column 5, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"10+2"; and

(b) against serial number 4, under column 5, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"10+2;

(Provision for typing test omitted in view of rule 9 A).".

S.C. CHOUDHARY,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Jails Department.

हरियाणा सरकार

जेल विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 नवम्बर, 2013

संख्या सा०का०नि० 34/संवि०/अनु० 309/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब जेल विभाग क्लर्क तथा तकनीकी (राज्य सेवा तीसरी श्रेणी) नियम, 1962, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम पंजाब जेल विभाग क्लर्क तथा तकनीकी (राज्य सेवा तीसरी श्रेणी) हरियाणा संशोधन नियम, 2013, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब जेल विभाग क्लर्क तथा तकनीकी (राज्य सेवा तीसरी श्रेणी) नियम, 1962, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में, नियम 9 में,—

(क) उप–नियम (1) में, "भाग एक का विभाग क" शीर्ष के नीचे, "जेल महानिरीक्षक, हरियाणा का कार्यालय" उप शीर्ष के नीचे, खण्ड (झ) में, क्लर्कों की स्थिति में, विधमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

"(एक) सीधी नियुक्ति द्वारा; या

(दो) रैस्टोरर के रूप में कम से कम दो वर्ष की सेवा पूरी करने के अध्यधीन तथा 10+2 होने पर रैस्टोरर में से पदोन्नती द्वारा; या

(तीन) जेल कार्यालयों या अन्य सरकारी कार्यालय के क्लर्कों के स्थानान्तरण द्वारा।";

(ख) उप–नियम (2) में, "भाग एक का विभाग ख" शीर्ष के नीचे, "जेल तथा अन्य उप कार्यालय" शीर्ष के नीचे, खण्ड (घ) में, क्लर्कों की स्थिति में, विधमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:—

"(एक) दो वर्ष का अनुभव रखने वाले और कम से कम 10+2 योग्यता रखने वाले मुख्य वार्डरों या वार्डरों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नती द्वारा; या

(दो) सीधी नियुक्ति द्वारा।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 9 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"9क.– (1) टंकण परीक्षा लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिये सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों

और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप घ तथा रैस्टोरर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) पास करने का विकल्प होगा। आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों मे यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तार योग्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी। ग्रुप ग में पदों के पूर्वोक्त प्रवर्गों के विरूद्ध नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान मे कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता/लेती है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुटंकक के पद पर पदोन्नत किए गये हैं, को भी एक वर्ष तक विस्तार योग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा।

(3) हरियाणा सरकार, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस नियम के उप–नियम (4) में यथा उपबन्धित पहले पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय–समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे पाठ्यक्रम के अनुसार टाईपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी के रूप में प्राधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा जारी किया गया 'पास' प्रमाण–पत्र सेवा नियमों में विहित शर्त को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

(4) कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) के लिए पाठ्यक्रम में केवल वर्डप्रोसैंसिंग, इन्टरनैट बराउजिंग तथा ई–मेल मैनेजमैन्ट होंगे।

(5) लिपिकों की दशा में, दोनों मामलों में समकक्ष की (Key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाईपिंग स्पीड, चूंकि टाईपिंग स्पीड कम्प्यूटर पर परीक्षित की जायेगी।

(6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) देने से छूट दी जाती है :–

(i) एम.टैक./बी.टैक. (कम्पयूटर), एम.सी.ए., बी.सी.ए. या मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पालिटैक्निक्स से कम्पयूटर में डिप्लोमा;

(ii) राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ई.एल.आई.टी.) (पूर्वी डीओईएसीसी सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्पयूटर साक्षरता प्रामाण–पत्र;

(iii) एच.के.सी.एल. के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए.एल.सीज) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण–पत्र (एचएससीआईटी);

(iv) उम्मीदवारों / कर्मचारियों जिन्होंने एसईटीसी पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवाग्रहण करते समय वैद्य है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) को हारट्रोन द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैद्य माना जायेगा; तथा

(v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात् हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन ऊपरी अंगों का अंगच्छेदन, पॅरैल्इसिस ऑफ रेड्यल (रेड्यल नॅःव पॉःल्जि) दोनों में से कोई एक ऊपरी अंग। नॅःवस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेविलनेशॅन डिजेनॅरॅटिव डिस्ऑःड्ॲ जो हाथ के लकवे तथा इसकी मांसपेशियों की क्षीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है।

तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप–पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) की भागरूप टंकण परीक्षा क्लीयर करना अपेक्षित होगा।"।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 'क', भाग एक में,–

I. "(क) महानिरीक्षक का कार्यालय" शीर्ष के नीचे,–

(क) क्रम संख्या 6 के सामने, खाना 5 के नीचे, विधमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"10+2";

(ख) क्रम संख्या 8 के सामने, खाना 5 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"10+2";

(ग) क्रम संख्या 9 के सामने, खाना 5 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"10+2

(नियम 9 क के दृष्टिगत टंकण परीक्षा के लिए प्रावधान का लोप कर दिया गया है)।"।

II "(ख) जेल और अन्य अधीनस्थ कार्यालय" शीर्ष के नीचे,–

(क) कम संख्या 3 के सामने, खाना 5 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"10+2"; तथा

(ख) कम संख्या 4 के सामने, खाना 5 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"10+2

(नियम 9 क के दृष्टिगत टंकण परीक्षा के लिए प्रावधान का लोप कर दिया गया है)।"।

एस० सी० चौधरी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
जेल विभाग।